तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी ...
11.4.18	वकील वादी उप० व प्रतिवादीगण की तलबी जरिए नोटिस की आकर पत्रावली दिन 2.5.18 को पेश हो श्रीमान SDO साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। R	
2-5-18	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/~~प्रतिवादी/अभियार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश पर है/दौरा पर है~~/अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानान्तरण हो गया है~~। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-5-18 कैम्प चूलीपर को पेश हो। रीडर 5181-5182 5-5-18	
11-5-18	पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प चूली पर पेश हुई। वादिया एवं प्रतिवादिया उप० है। पक्षकारो ने राजीनामा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि का हम तहसीलदारजी के यहां विभाजन करवा लेंगे। विभाजन में वादिया को जो रास्ते की भूमि प्रतिवादी की भूमि में से दी जाती है उसके एवज में वादिया अपने हिस्से में से उतनी ही भूमि प्रतिवादिया को देगी। यदि किसी कारणवश दोनों पक्षो में सहमति नही हो पाती है तो वादिया को नवीन दावा करने की छूट दी जाकर इसी आधार पर दावे का निस्तारण कर दिया जावे। प्रतिवादिया इससे सहमत है। प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादिया को नवीन वाद पेश करने की अनुमति के साथ यह दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रवि कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (बाबूलाल जाट) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर	नि० नि०

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) चूली

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

छोटी पत्नी रामजीलाल मीना निवासी गंगापुर सिटी ——वादिया

बनाम

1. केसर पत्नी लल्लूराम मीना निवासी गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा विभाजन भूमि, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञ

मुकदमा नं. – 76/2017

वादीगण की ओर से वादिया छोटी एवं प्रतिवादीगण की ओर से केसर की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 11.5.2018 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार पक्षकारान विवादित भूमि का तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहाँ विभाजन करा लेगे। विभाजन मे वादिया को रास्ते की भूमि प्रतिवादीगण की भूमि मे से दी जावे तथा इसके एवज मे वादिया अपने हिस्से मे से उतनी ही भूमि प्रतिवादिया को दे देगी। यदि किसी कारणवश दोनो पक्षो मे सहमति नही हो पाती है तो वादिया को नवीन दावा पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 11.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मुहर: कार्यालय-उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी)

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4 ________रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

प्रपत्र–4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.......गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

केम्प कोर्ट का स्थान :– ....चूली.......

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक ....11/5/18....

श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

ग्राम चूली

छोटी .... बनाम ....केशर वगैरह....

76/17 .... अन्तर्गत धारा ....53, 188 R.T. Act....

निवेदन है कि हम वादी/वादी श्री ....छोटी व प्रतिवादी केशर....

के बीच उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलेह हो गई है और कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।

हम पक्षकारों में आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

हम पक्षकारान में लोक अदालत ... में यह समझौता हुआ है कि विवादित ... का हम ... यहाँ ... तथा ... प्रतिवादिया को ... का ... हो ... उसके ... में ... अपर ... प्रतिवादिया को ... पक्षों में ... नहीं हो पाती है ... के नाम ... दर्ज ... जावे। प्रतिवादिया इससे सहमत है।

अतः निवेदन है कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमे का निस्तारण करने की कृपा करें।

वादी पक्ष .... प्रतिवादी पक्ष 1. ....

1. छोटी .... 2. ....किशोरसार....

2. .... 3. ....

3. .... 4. ....

सरपंच ग्राम पंचायत चूली गंगापुर सिटी (स.मा.)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर .... प्रधानाचार्य पदेन पीईईओ रा०उ०मा०वि० चूली

(वादी पक्ष) नाम .... (प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

आज वादी ....छोटी.... एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी ....केसर....

द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना पाया गया। अतः राजीनामा स्वेच्छाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(... कुमार शर्मा) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(सतीश कुमार शर्मा) एडवोकेट सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी

(बाबूलाल जैन) पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी